न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-64RAAJodhpur2022-39RTA225 Sohanlal Vs Kailash etc

सोहनलाल पुत्र श्री मेवाराम, जाति बावरिया, निवासी- लवादर, तहसील डेगाना, जिला नागौर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. कैलाश पुत्र मिसाराम
02. तुलछाराम पुत्र मिसाराम
03. पतासी पत्नी मिसाराम
04. परमूड़ी पुत्री मिसाराम
05. बुधकी पत्नी बिड़दाराम
06. मंजू पत्नी मदनलाल
07. ममता पुत्री कालूराम
08. महेन्द्र पुत्र कालूराम
09. मोनिका पुत्री कालूराम
10. कंचन पुत्री कालूराम
11. शंकरराम पुत्र धूलाराम
12. सेहनराम पुत्र हरजीराम
    जातियान् सरगरा, निवासीगण- खवासपुरा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
13. नेमाराम पुत्र तेजाराम
14. दुर्गाराम पुत्र तेजाराम
15. स्वरूपराम पुत्र तेजाराम
    जातियान् नायक, निवासीगण- नायको की ढाणी, घोड़ावट, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 सोहनलाल बनाम कैलाश इत्यादि

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बलवीर चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1, 3 से 6, 8, 9, 11, 13, 14
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 16

नि र्ण य

दिनांक : 19 सितंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 अनवान सोहनलाल बनाम कैलाश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 481 रकबा 1.2135 हैक्टेयर ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर के संबंध धारा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 फरवरी 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाये बिना ही मौके पर डिमार्केशन कर नीवे खोदना शुरु कर दी एवं निर्माण कार्य की धमकी दी गई। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कर रेस्पोडेंट्स को वादग्रस्त आराजी पर निर्माण एवं विशेष भू-भाग पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 481 रकबा 1.2135 हैक्टेयर वाके घोड़ावट पर दावे के निस्तारण तक मौके पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

जबाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने हक-हिस्से की भूमि पर ही निर्माण कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा अनावश्यक ही अस्थाई हेतु निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवतः 2075-2078 ग्राम घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर के खाता संख्या 130 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 207 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 481 रकबा 1.2135 हैक्टेयर की सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है। विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का स्थाई प्रकृति का निर्माण न हो इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसलिए

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 फरवरी 2022 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट अपीलांट के हक हिस्से की 1/3 भाग भूमि पर कोई नया निर्माण नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.9.22

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर